

24.5.18

अतः पत्र
दिनांक 13.2.11 को पत्र का

पणवली डाक केम्प कोर्ट इन्डपुरा में पेश हुई। पणवली
का अवलोकन किया गया। राधरव रिपोर्ट नमावली के
अनुसार ग्राम इन्डपुरा की सरहद में ग्राम खाना 708
रकबा 2.42 है स्थित है। उक्त वर्जित ग्राम संगुण्ट
स्वातेदारी की ग्राम ही तथा ग्राम का विधिवत बंटवारा
नहीं हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का. 6 उक्त
वर्जित ग्राम के स्वातेदार रूप रिपोर्ट है। धारा 53
के प्रावधान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी का राधरव
रिपोर्ट में रूप हिस्सा के अनुसार ग्राम का विधिवत
विभाजन करवाने के अधिकारी है।

आदेश

वादपक्ष स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिप्टी
जज आदेश की जाती है कि ग्राम इन्डपुरा की सरहद
में स्थित ग्राम खाना 708 रकबा 2.42 है. में वादी
एवं प्रतिवादी सं. 1 के 6 के रूप हिस्सा एवं वादी
के अनुसार रास्ते का प्रावधान करते हुए विधिवत
विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है।
अनुसार तदस्वील दार उदमपुरवाठी उभयपक्षकारण
की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय
मकश के दो प्रतिभों में न्यायालय हाथ में प्रस्तुत
करें।

पणवली केसला मुम्बर होकर नम्बर से कम हो तथा
बाद तलमील दारिवेल फतर है।

विशेष डाक डिप्टी 24.5.18 को कोर्ट केम्प इन्डपुरा
में सुनाया गया।

उपस्थित अधिकारी